राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/ 1046 दिनांकः 24/03/2021

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। राजस्व ग्राम कस्बा बानसूर (ग्राम पंचायत बानसूर), बाढ पुरोहित, बाढ ढेगूवास, बाद धूंधला, बाढ–भावसिंह, माजरा रावत, टोडिया का बास (ग्राम पंचायत लेकडी) सम्पूर्ण क्षेत्र जिला अलवर को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र की वर्ष 2011 की जनगणना में जनंसख्या 27,354 है। यहां जनसंख्या घनत्व 976 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 50 प्रतिशत है।

उक्त क्षेत्र में लघु उद्योग स्थित होने से एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। इस क्षेत्र का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है एवं स्टेट हाईवे पर स्थित होने से यातायात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में पुलिस थाना, उपखण्ड कार्यालय, न्यायालय सहायक कलक्टर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, राजकीय महाविद्यालय एंव औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, एसीजेएम न्यायालय, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कृषि उपज गौण मण्डी, ग्रिड सब–स्टेशन, अधिशाषी अभियन्ता जेविविएनएल, सहायक अभियन्ता पीएचईडी, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं अन्य नागरिक सुविधाएं भी विद्यमान है। यह क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय भी है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2020–21 की बजट घोषणा में बानसूर को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। उक्त क्षेत्र विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करता है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 42/2021 दिनांक 18 मार्च, 2021 द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप–धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्व ग्राम कस्बा बानसूर (ग्राम पंचायत बानसूर), बाढ पुरोहित, बाढ ढेगूवास, बाद धूंधला, बाढ–भावसिंह, माजरा रावत, टोडिया का बास (ग्राम पंचायत लेकडी) सम्पूर्ण क्षेत्र जिला अलवर को एतद्द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस क्षेत्र को नगरपालिका बानसूर जिला अलवर के नाम से संबोधित किया जायेगा। राजस्व ग्राम कस्बा बानसूर (ग्राम पंचायत बानसूर), बाढ पुरोहित, बाढ ढेगूवास, बाद धूंधला, बाढ–भावसिंह, माजरा रावत, टोडिया का बास (ग्राम पंचायत लेकडी) सम्पूर्ण क्षेत्र जिला अलवर की वर्तमान सीमायें नगरपालिका बानसूर जिला अलवर की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

REDMI NOTE 9 PRO MAX
AI QUAD CAMERA

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(   )डीएलबी/20/ 1068-1110 दिनांकः 24/03/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निजी सचिव, सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
02. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
03. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
05. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
06. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर (स्वायत्त शासन विभाग)।
07. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
08. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
09. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
10. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
11. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करावे एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवावें।
12. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
14. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
15. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
16. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
17. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
18. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु।
19. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
20. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी